भा.कृ.अनु.प.—राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केन्द्र जोड़बीड़, पो.बै. 07, बीकानेर- 334 001 (राजस्थान)

राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केन्द्र के फार्म एरिया में बारानी ग्वार फसल हिस्सा पद्धति पर दिए जाने एव ंसेवण, धामण घास के बीज को लगाने का कार्य वॉल्यूम ऑफ वर्क पर दिए जाने बाबत्

निदेशक, रा.उ.अ.केन्द्र, बीकानेर, की ओर से उपरोक्त कार्य हेत् भारत सरकार की जैम वैबसाईट के माध्यम से ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। आमंत्रित की जाने वाली ऑनलाईन निविदा व विस्तृत सूचना, नियम / शर्तें इत्यादि इस केन्द्र की वेबसाइट www.nrccamel.icar.gov.in पर उपलब्ध हैं।

पूर्ण रूप से भरी हुई ऑनलाईन निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 18.06.2022 समय सांय 04.30 बजे तक है। जो फर्मे / संस्था MSME/NSIC से पंजीकृत हैं उन्हें नवीनतम वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर नियमानुसार वरीयता प्रदान की जाएगी। इच्छूक फर्म/संस्था केन्द्र की वेबसाईट से निविदा प्रपत्र निश्क डाउनलोड कर सकते हैं।



भा.कृ.अ.प.—राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केन्द्र

I.C.A.R.- NATIONAL RESEARCH CENTRE ON CAMEL पोस्ट बैग—07, जोड़बीड़, बीकानेर 334001(राज.)भारत

Post Bag-07, Jorbeer, Bikaner 334001 (Raj.) India TAN Based - GST No. 08JDHN01654C1DI PAN Based - GST No. 08AAEAN8221D1ZS



दिनांक: 30.05.2022

फा. सं.: NRCC/ADM/P/I(09)P/Guar Fasal/2022-23

अल्पकालीन कोटेशन

1. भरे हुये कोटेशन प्रपत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि

दिनांक 18.06.2022 सांय 4.30 बजे तक

2. कोटेशन खोलने की अन्तिम तिथि

दिनांक 20.06.2022 प्रातः 11.00 बजे

3 कोटेशन की मान्य अवधि

120 दिन

क्र.सं	
1.	राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केन्द्र के फार्म एरिया में बारानी ग्वार फसल हिस्सा पद्धति पर दिए जाने एव
	ंसेवण, धामण घास के बीज को लगाने का कार्य वॉल्यूम ऑफ वर्क पर दिए जाने बाबत्

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैनें कोटेशन में दर्शायी गई सभी नियम व शर्ते भली—भाँति पढ़ ली हैं तथा मुझे पूर्णरूप से स्वीकार है। मैं उपरोक्त दर्शायें गए कार्य को अनुबन्ध / ठेके के आधार पर सम्पन्न करवाने के लिये सहमत हूँ तथा मैं निदेशक, प्रभारी कृषि वानिकी इकाई या उनके प्रतिनिधि से समय—समय पर सम्पर्क करके उनके निर्देशानुसार अनुबन्ध कार्य करता रहूँगा। मैं अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करूँगा और केन्द्र के अधिकारियों / कर्मचारियों से कुशलता पूर्वक व्यवहार रखूँगा। यदि मेरे या प्रतिनिधियों द्वारा अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान / हस्तक्षेप करने / या उनके द्वारा बताये जाने वाले कार्य को करने के लिये मना आदि करता हूँ तो मेरे द्वारा जमा करवाई जाने वाली जमानती राशि को जब्द करके अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता हैं जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी। साथ ही मैं यह भी वचन देता हूँ कि मुझें व मेरे प्रतिनिधि को उपरोक्त कोटेशन प्रपत्र में दर्शाये गये कार्यों का पूर्ण ज्ञान है।

यह भी वचन देता हूँ कि मैं भारत / राजस्थान सरकार के प्रचलित सभी श्रमिक नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूँगा तथा मेरे द्वारा लगाये गये सभी प्रतिनिधियों की मजदूरी का भुगतान समय—समय पर निर्धारित दैनिक मजदूरी की दर से करूँगा।

यह मेरे / हमारे संज्ञान में भली—भाँति से है कि आपके द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं में आप न्यूनतम अथवा किसी अन्य निविदाओं को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है एवं सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मुझे / हमें मान्य हैं। अनुबन्ध की अविध समाप्त होने के उपरान्त मेरा व मेरे द्वारा लगाये गये प्रतिनिधियों का इस केन्द्र से जाँब कोन्ट्रेक्ट के अलावा कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा और न ही मै किसी प्रकार का केन्द्र के खिलाफ कोई कार्यवाही करूँगा।

0.			
दिनाक	 	 	 ٠

हस्ताक्षर ठेकेदार / फर्म प्रतिनिधि मय सील पूरा पता टेलीफोन / मोबाईल नं.

ICAR-NATIONAL RESEARCH CENTRE ON CAMEL P.B. No.07, JORBEER, BIKANER.

Tel: 0151 -2230858 Fax: 0151 -2970153

F. No. NRCC/ADM/P/I(09)P/Guar Fasal/2022-23

Dated: 30.05.2022

Note: All communications must be addressed to the Director, by designation, National Research Centre on Camel, Bikaner.

From,
The Director,

National Research Centre on Camel,

Bikaner.

M/s.	 •	•••••	•••••	
	 •••••	•••••		

Dear Sirs,

On behalf of the Secretary I.C.A.R., New Delhi, tenders are invited for the award of following Agriculture works/contracts:

SI.	Name of work Contract	Period
No.		
1.	राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केन्द्र के फार्म एरिया में बारानी ग्वार फसल हिस्सा पद्धति पर दिए जाने एवं सेवण, धामण घास के बीज को लगाने का कार्य वॉल्यूम ऑफ वर्क पर दिए जाने	जुलाई — 2022 से जून— 2025 तक
	बाबत्	

- The conditions of the contract which will govern any contract made are those contained in the general
 conditions of contract applicable to the contracts by the I.C.A.R. and by the Research Institutes of the
 Council and the special terms and conditions detailed in the tender forms and its schedules. Please
 submit your tender, if you are in a position to complete the requisite work in accordance with the
 requirements stated in the attached schedule.
- 2. The Earnest Money as mentioned in the general information and other terms and conditions of the contract must be deposited in the shape of Demand Draft/FDR in favour of "ICAR UNIT- NRCC, Bikaner" drawn on State Bank of India, Sadul Ganj Branch, Bikaner (Rajasthan) and the relevant DD/FDR must accompany the tender. The Earnest Money should not on any account fall short of the amount actually required. The tender may not be considered if the D.D./F.D.R of Earnest Money is not attached with the Tender. The tenderer(s) is/are being permitted to tender the consideration of the stipulations of his part that after submitting his tender he will not resale this form/his offer or modify the terms and conditions thereof. Should the tender fail to observe and comply with the foregoing stipulations, the Council/Centre will forfeit the amount of Earnest Money if any demanded before placing of contract Order. In the event of the offer made by the tender not being accepted, the amount of E. Money deposited by the tender will be refunded to him after he has applied for the same, in the manner prescribed by the Council/Centre.
- 3. The tender is liable to be ignored if complete information as required is not given therein. If he particularly asked for in the schedules to the tender or other documents connected with the contract/tender may specify whether he signs it in the capacity of (i) a sole proprietor (ii) a partner of the firm. If it be a partnership whether by virtue of the partnership, in which case he must have authority to refer to arbitration dispute concerning the business of the partnership whether by virtue of the partnership agreement of power of attorney, or (iii) Constituted attorney of the firm if it is a comply.
- 4. In case of partnership firms where no authority to refer disputes concerning the business of the partnership has been conferred on any partner, the tender and all other related documents must be

signed by every partner of the firm. A person signing the tender form or any other documents forming part of the contract on behalf of another shall be deemed to warranty that he has authority to bind such other and if, on inquiry it appears that the person so signing has no authority to do so, the Council/Centre shall without prejudice to other civil and criminal remedies, cancel the contract and hold the signatory liable for all costs and damages. Each page of the tender and the schedules to the tender and annexure, if any, should be signed by the tenderer(s).

- 5. Director, ICAR-NRCC, Bikaner reserves the right to reject all or any tender(s) without assigning any reason. All the tenders should be sent by online through GeM not later than **04.30** P.M. on or before **18.06.2022**.
- 6. The Council/Centre does not pledge itself to accept the lowest or any tender and also reserves to itself the right of accepting the whole or any part of the tender or portion of the tender. [you are, however, at liberty to tender for the whole or any portion or to state in the tender that the share quoted shall apply only if the tender is considered fully.]
- 7. Acceptance by the Council/Centre will be communicated by e-mail, letter or any other form of communication. Formal letter or acceptance of the tender will be forwarded as soon as possible, but the earlier instructions in the e-mail/letter etc. should be acted upon immediately.
- 8. In case of any dispute arising in respect of the said tender, the dispute will be solved through arbitration and the tenderer will have to abide by the decision of the Arbitrator. The Arbitrator will be appointed by the Director, ICAR-NRCC, Bikaner. Further, the tenderer will have to agree to the settlement of disputes through such arbitration and they will have to bind themselves to abide by the decision of the arbitrator.
- 9. The selected Agency shall execute the job of above work within the period specified in the work order.
- 10. The selected Agency shall render the Agricultural work as per the instructions of the Centre. If work rendered by them is not satisfactory the contract will be terminated immediately, by the Centre.
- 11. The selected Agency/Contractor will have to make an Agreement on the non-judicial stamp paper of appropriate value in favour of the Director, ICAR- National Research Centre on Camel, Bikaner, and shall have to deposit Security Money of Rs 10,000.00 within 7 days from the date of receipt of communication regarding acceptance of the tender and thereafter, only the work order/contract for the works/services will be awarded. The amount of Security Money Rs. 10,000/- is refundable after satisfactory completion of the job, but in case the contractor fails to abide by the terms and conditions of the contract, SMD is liable to be forfeited and the ordered work will be got done from other sources at the cost and risk of the Contractor/Agency. The expenditure which the Centre will have to incur in doing so, will be recovered from the Agency/Contractor from his share and any other payments due to him. If the same will fall short of the amount to be recovered the same will have to be deposited by the contractor.
- 12. The Agency / Contractor shall submit the details of any litigation current or during the last 3 years in which the contractor is involved, the penalties concerned and disputed amount in each case.
- 13. All disputes will be subject to Bikaner Jurisdiction.

निविदा दाता के हस्ताक्षर/मोहर

पूरा पता

टेलीफोन / मोबाईल नं.

GENERAL INFORMATION AND OTHER TERMS AND CONDITIONS OF THIS CONTRACT ठेका हिस्सेदारी की आवश्यक नियम व शर्तें

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद - राष्ट्रीय उष्ट् अनुसंधान केंद्र, बीकानेर

राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केन्द्र के फार्म एरिया में बारानी ग्वार फसल हिस्सा पद्धति पर दिए जाने एव सेवण, धामण घास के बीज को लगाने का कार्य वॉल्यूम ऑफ वर्क पर दिए जाने बाबत्

वित्तीय निविदा पृष्ठ संख्या 6 पर है जिसे अलग लिफाफे में भरकर प्रस्तुत करना है

क्रम	भूमि का विवरण	बोई जाने	दाना / बीज में	चारे में केन्द्र का	दाना / बीज	चारे में एजेन्सी का
सं.		वाली	केन्द्र का	हिस्सा (%)	में एजेन्सी	हिस्सा (%)
		फसल	हिस्सा (%)		का हिस्सा	2 -0
=					(%)	
1.	बारानी भूमि क्षेत्रफल लगभग 20 हेक्टेयर एरिया न. 1	ग्वार		शत प्रतिशत		शुन्य
	बीज	बुवाई में आने	वाला श्रमिक खर	र्व प्रति हेक्टेयर के आध	गर पर	
2.	सेवण एरिया 2.5 हेक्टेयर	सेवण	बीज बु	वाई/लगाने में आने व	ाला श्रमिक खर्च	प्रति हेक्टेयर
3.	धामण एरिया 2.5 हेक्टेयर	धामण	बीज बु	वाई/लगाने में आने व	ाला श्रमिक खर्च	प्रति हेक्टेयर

ठेका नियम व शर्ते वर्ष 2022 से 2025 तक

- 1. हिस्सा पद्धित पर बारानी ग्वार फसल हेतु केन्द्र द्वारा उक्त भूमि दिया जाना प्रस्तावित है, जिसमें फर्म / एजेन्सी द्वारा केन्द्र को ग्वार फसल का पूरा (शत् प्रतिशत्), चारा (ग्वार फलाटी) देना होगा। दाने में से कितना हिस्सा केन्द्र का होगा व कितना हिस्सा (प्रतिशत) एजेन्सी का होगा? कौटेशन (निविदा) में फर्म को इसका स्पष्ट उल्लेख करना होगा। दाने में से अधिक से अधिक हिस्सा देने वाली फर्म को ठेका दिया जाएगा।
- 2. बारानी ग्वार फसल के लिए फर्म / एजेन्सी को केन्द्र द्वारा केवल भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी, भूमि के अलावा केन्द्र में उष्ट्र खाद उपलब्धता के आधार पर निशुल्क दी जाएगी।
- 3. बारानी ग्वार फसल के लिए ट्रैक्टर से जमीन तैयार करना, बीज, बिजाई कार्य, फर्टीलाईजर, फसल को बीमारियों से बचाने के लिए दवाई (पेस्टीसाईड) फसलों से खरपतवार निकालना, पकने पर फसल की कटाई करना, इकट्ठा करना, थ्रेसर से चारा दाना अलग करना, आवारा जानवरों व जंगली जानवरों से फसल की सुरक्षा करना, थ्रेसिंग के उपरांत केन्द्र के हिस्से का चारा दाना गोदाम तक पहुंचाना, उक्त सभी कार्य फर्म को अपने स्तर पर स्वयं के साधनों से ही पूर्ण करने होंगे।
- 4. बिन्दू सं. 3 के सभी कार्य उपरांत फसल का दाना—चारा केन्द्र निदेशक द्वारा गठित समिति के समक्ष तुलवाकर केन्द्र के हिस्से का दाना—चारा भण्डार तक एजेन्सी को अपने स्तर पर स्वयं के साधनों से पहुंचाना होगा।
- 5. बारानी ग्वार फसल के क्षेत्रफल में कम से कम 10 प्रतिशत क्षेत्रफल अनुसंधान कार्यों के लिए आरक्षित रखा जाएगा जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी फर्म की होगी।
- 6. ठेका उसी फर्म को दिया जाएगा जो ग्वार फसल से अधिक से अधिक दाने का हिस्सा केन्द्र को देगा।
- 7. ठेका अनुबंध (क्रम सं. 1 का) आगामी 03 वर्ष के लिए होगा। कार्य संतोषजनक पाए जाने पर अनुबंध 01 से 02 वर्ष तक और बढ़ाया जा सकता है।
- 8. सेवण, धामण घास के लिए सभी इन्यूट जैसे जमीन, खाद, बीज, बिजाई पूर्व ट्रैक्टर से जमीन तैयार करना, वर्षा होने पर ट्रैक्टर कल्टीवेटर से कुण्ड (नाली) तैयार करना इत्यादि कार्यों के लिए ट्रैक्टर केन्द्र उपलब्ध करवाएगा।
- 9. सेवण, धामण घास का बीज गीली मिट्टी में मिलाना, ट्रैक्टर से बनाई कुंड (नाली) में मिट्टी मिश्रित घास का बीज डालना/लगाना कार्य ठेकेदार/फर्म को करना होगा। 2.5 हेक्टेयर धामण व 2.5 हेक्टेयर सेवण घास के बीज को लगाने के लिए ठेकेदार/एजेंसी प्रतिदिन कम से कम 12 श्रमिक उपलब्ध कराने होंगे जब तक कार्य पुरा न हो।
- 10. ठेका आवंटित होने के बाद वर्षा होने पर ठेकादार को सूचना मोबाईल पर दी जाएगी तथा ठेकेदार को अविलम्ब श्रमिक उपलब्ध कराने होंगे। इस कार्य में / श्रमिक उपलब्ध कराने में देरी होने पर ठेका निरस्त कर दिया जाएगा तथा सिक्योरिटी डिपोजिट जब्त कर ली जाएगी।
- 11. समय से बारिस न होने पर सेवण, धामण लगाने का कार्य निरस्त किया जा सकता है तथा इसके लिए किसी प्रकार का भूगतान देय नहीं होगा।
- 12. सेवण, धामण घास लगाने का कार्य उसी फर्म/एजेन्सी को दिया जाएगा जिसकी लगाने की दरें प्रति हेक्टेयर सबसे कम होंगी।

कार्य पूर्ण होने / संतोषप्रद होने पर भुगतान किया जाएगा। 13

16.

- एजेन्सी की मशीन अथवा उनके व्यक्तियों द्वारा केन्द्र की किसी भी चल-अचल सम्पति को कोई क्षति होने पर, अविलम्ब 14 क्षतिपूर्ति, एजेन्सी को करनी होगी अथवा उनकी धरोहर राशि में से काटी जाएगी।
- समस्त कार्य ठेके की अवधि में संतोषजनक होना आवश्यक होगा तथा इस बाबत केन्द्र के सक्षम अधिकारी व प्रभारी 15. कृषि वानिकी के दिशा-निर्देश मानने होंगे। किसी भी प्रकार की लापरवाही पर एजेन्सी की जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी तथा ठेका तूरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा जो कि एजेन्सी को मान्य होगा।
- फसल की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी एजेन्सी की होगी। फसल को आवारा पश्ओं, जंगली जानवरों आदि से नुकसान से बचाने की जिम्मेदारी एजेन्सी की होगी तथा फसल को किसी नकसान की अवस्था में केन्द्र के हिस्से की भरपाई के लिए एजेन्सी जिम्मेदार होगी। आवश्यकता पड़ने पर इसका निर्धारण केन्द्र निदेशक द्वारा गठित समिति के माध्यम से किया जाएगा, जो कि एजेन्सी को मान्य होगा।
- जहां पर फैंसिंग कमजोर है, उन जगहों पर बाड़ / कांटे लगाकर आवारा पशुओं से फसल को सुरक्षित करना फर्म की 17 जिम्मेदारी होगी।
- फर्म को फसल बुवाई फैंसिंग से 20 फीट छोड़कर करनी होगी। जिससे सुरक्षा के लिए गश्त करने में आसानी रहेगी। 18. अनुबंध कार्य के दौरान किसी प्रकार की श्रमिक दुर्घटना व अन्य दुर्घटना होने पर एजेन्सी अथवा उनके प्रतिनिधि स्वयं 19. जिम्मेदार होंगे। सभी प्रकार की कार्यवाही उन्हें स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। केन्द्र द्वारा किसी प्रकार की सहायता या सविधा प्रदान नहीं की जाएगी।
- अनुबंध के अंतर्गत फर्म द्वारा लगाए जाने वाले श्रमिकों को केन्द्र सरकार द्वारा नियत देय पारिश्रमिक व अन्य श्रमिक 20. नियमों की अनुपालना संबंधित एजेन्सी को स्वयं के स्तर पर करनी होगी। केन्द्र की इसमें कोई भूमिका नहीं होगी। हिस्सा पद्धति के अंतर्गत इस खेती अनुबंध में संबंधित ठेकेदार / फर्म को यदि कोई नुकसान पहुंचता है तो उसके लिए 21 वह स्वयं उत्तरदायी होगा व केन्द्र किसी प्रकार से भरपाई नहीं करेगा।
- अनुबंध के अंतर्गत उपरोक्त इंगित कार्य संतोषजनक ढंग से तथा समय पर पूर्ण कराने का पूर्ण दायित्व फर्म का होगा 22 तथा कार्य असंतोषजनक या अधूरा रहने पर अनुबंध निरस्त करने, धरोहर राशि जब्त करने सहित अन्य कार्यवाही हेत केन्द्र स्वतंत्र होगा। सक्षम अधिकारी के पास फसल का क्षेत्रफल कम या अधिक करने, ठेके की अवधि घटाने या बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित 23. रहेगा।
- किसी प्रकार के विवाद पर आरबीट्रैटर केन्द्र के द्वारा नियुक्त किया जाएगा तथा आरबीट्रैटर द्वारा लिया गया 25 निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
- ठेका स्वीकृत / अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार केन्द्र निदेशक, भा.कृ.अनु.प.--राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केन्द्र, बीकानेर के 26. पास सुरक्षित रहेगा।
- उपरोक्त टेबल क्रम सं. 1, 2 व 3 के कॉन्ट्रैक्ट को अलग-अलग फर्मों / एजेन्सी को भी आवंटित किया जा सकता है 27. तथा कोई फर्म किसी भी क्रम संख्या के लिए बिड डाल सकती है।

निविदा दाता के हस्ताक्षर / मृहर मोबाइल नम्बर पता

वित्तीय निविदा

अलग लिफाफे में भरकर दी जानी है

क्रम	भूमि का विवरण	बोई	दाना / बीज	चारे में केन्द्र	दाना / बीज में	चारे में एजेन्सी
सं.		जाने	में केन्द्र का	का हिस्सा	एजेन्सी का	का हिस्सा
		वाली	हिस्सा	(प्रतिशत)	हिस्सा	(प्रतिशत)
		फसल	(प्रतिशत)		(प्रतिशत)	
	बारानी भूमि क्षेत्रफल					
01.	लगभग 20 हेक्टेयर	ग्वार		शत प्रतिशत		शून्य
	एरिया नं. 1					
सेवण व धामण घास बीज बुवाई / लगाई कार्य की दर प्रति हेक्टेयर जिस				ਵਹ ਸਫ਼ਿ	ो हेक्टेयर -	
एजेन्सी की कम होगी, ठेका उसी फर्म को आवंटित किया जा सकेगा।		या जा सकेगा।) K	1 64041		
00	सेवण	सेवण	बीज बुवाई	में आने वाला		
02.	एरिया 2.5 हेक्टेयर	सपण		क खर्च	रूपये	
02	धामण	енни	बीज बुवाई	में आने वाला	रूपये	ri .
03.	एरिया 2.5 हेक्टेयर	धामण	श्रमिक खर्च		रूपय	

निविदा दाता के हस्ताक्षर / मुहर
नोबाइल नम्बर
नता